निविदा प्रपत्र

छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ की धान उपार्जन के कार्य हेतु स्वीकृत कार्यशील पूंजी के विरूद्ध ब्याज की देयता को कम करने तथा उच्च ब्याज दर के ऋण से प्रतिस्थापन करने के उद्देश्य से शासकीय प्रत्याभूति के बिना अतिरिक्त ऋण राशि न्यूनतम ब्याज दर के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों की सूची 'A' एवं 'B' तथा वित्तीय संस्थाओं से निम्नानुसार शर्तों के अंतर्गत प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ हेतु न्यूनतम प्रस्ताव राशि ₹ 500.00 करोड़ (अक्षरी– पांच सौ करोड़ मात्र) का होगा।

2. प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना होगा कि वर्तमान में स्वीकृत साख सीमा/अल्पकालीन ऋण/पूंजी ऋण के विरूद्ध यह प्रस्ताव दिया गया है अथवा पूर्व में स्वीकृत ऋण के अतिरिक्त यह प्रस्ताव है।

3. साख–सीमा/अल्पकालीन की ऋण की सिक्योरिटी विपणन संघ हेतु उपार्जित धान/ का स्टाक एवं बिल्स रिसीवेबल का हाइपोथिकेशन से किया जा सकेगा।

4. साख–सीमा सुविधा तथा इसके विरूद्ध सिक्योरिटी हेतु मार्जिन राशि शून्य रहेगी।

5. प्रोसेसिंग एवं दस्तावेज शुल्क शून्य रहेगी। राशि का आहरण न्यूनतम ब्याज दर के आधार पर किया जावेगा।

6. स्वीकृत साख–सीमा/अल्पकालीन ऋण पर दण्ड ब्याज अधिकतम 2% मान्य किया जावेगा। राज्य शासन द्वारा घोषित अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर भुगतान करने की स्थिति में कोई दण्ड ब्याज मान्य नहीं किया जावेगा।

7. ब्याज दर EBLR दर/MCLR दर (न्यूनतम 01 माह) के लिए ही प्रस्तुत की जावे।

8. बैंको/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित ब्याज दरें **राज्य शासन की प्रत्याभूति के बिना** दी जावें।

9. निविदाकर्ता बैंक की शाखा, रायपुर, छत्तीसगढ़ में होना अनिवार्य है।

10. साख–सीमा सुविधा स्वीकृति दिनांक से कम से कम 01 वर्ष की अवधि हेतु उपलब्ध करायी जावे। विपणन संघ द्वारा राशि की उपलब्धता के आधार पर समय पूर्व भुगतान अथवा भुगतान हेतु निर्धारित समयावधि में वृद्धि, जैसी भी स्थिति हो, उपयोग किया जावेगा।

11. प्रस्ताव स्वीकृति दिनांक से अधिकतम 07 दिवस की सीमा में साख–सीमा सुविधा आहरण हेतु उपलब्ध कराना होगा।

12. साख–सीमा सुविधा के विरूद्ध वास्तविक आहरण की तिथि से ही ब्याज देय होगा।

...2

13. ऋण पुनर्भुगतान हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व भी भुगतान किया जा सकेगा तथा समयावधि के पूर्व भुगतान करने पर विपणन संघ द्वारा कोई दण्डित ब्याज देय नहीं होगा एवं भुगतान करने की तिथि तक ही वास्तविक ब्याज की राशि भुगतान की जा सकेगी। संघ पर किसी भी समय में बैंकों द्वारा स्वीकृत साख–सीमा का पूर्ण उपयोग किया जाना बाध्यकारी नहीं होंगा।

14. निविदा शर्तों के रूप में दिये गये ऑफर के विरूद्ध निर्धारित की गई ब्याज दर में परिवर्तन सिर्फ EBLR/MCLR के परिवर्तन की स्थिति में ही हो सकेगा।

15. जिन बैंकों के ऑफर स्वीकृत किये जायेंगे, उन्हें अनुबंध पत्र में उल्लेखित शर्तों को सम्मिलित कर तैयार किये गए अनुबंध पत्र में अनुबंध का निष्पादन 05 दिवस के भीतर करना होगा ।

16. विपणन संघ का वित्तीय वर्ष 2019–20 तक उपलब्ध अंकेक्षित वित्तीय पत्रक के आधार पर ही साख–सीमा/टर्म लोन ऋण उपलब्ध कराना होगा।

17. बैंको/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त ब्याज दर के आधार पर एवं आवश्यकतानुसार निगोशियेशन के पश्चात् प्रस्ताव पर निर्णय लिया जावेगा। प्राप्त प्रस्ताव को मान्य/अमान्य करने का अधिकार राज्य स्तरीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा ।

उपरोक्त साख–सीमा उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों की सूची 'A' एवं 'B' अनुसार)/ वित्तीय संस्थान अपने लेटर हेड पर प्रस्ताव सील बंद लिफाफे में दिनांक ..... को दोपहर 12:00 बजे तक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, 6वीं मंजिल टावर "सी" कमर्शियल कॉम्पलेक्स, सी.बी.डी. सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर, जिला– रायपुर(छ.ग) 492001 में स्वतः/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

संपर्क–
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, छठवीं मंजिल, टॉवर "सी"
कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सी.बी.डी.. सेक्टर–21 नवा रायपुर अटल नगर,
जिला रायपुर 492002
दूरभाष क्रमांक–0771.2425420/2425426
इ–मेल –mf_ctrlroom_raipur@gov.in

(अंकित आनंद)
प्रबंध संचालक